क्र. सं.	न्यायालय का नाम	क्षेत्राधिकार
	डीडवाना मुख्यालय	
01	**मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, डीडवाना**	पुलिस थाना, डीडवाना, महिला थाना, डीडवाना तथा साईबर थाना, डीडवाना (सम्पूर्ण जिले में उद्भूत होने वाले समस्त आपाराधिक प्रकरण) के क्षेत्राधिकार में उद्भूत होने वाले समस्त प्रकार के आपराधिक प्रकरण, डीडवाना के क्षेत्राधिकार से भिन्न प्रकरण। सम्पूर्ण जिले में उद्भूत होने वाले ऐसे प्रकरण जो केन्द्रीय व राज्य अधिनियमों के तहत दर्ज हो तथा जहां क्षेत्राधिकार केवल मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट में ही निहित है।
02	**अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, डीडवाना**	पुलिस थाना, मौलासर तथा पुलिस थाना, बरड़वा के क्षेत्राधिकार में उद्भूत होने वाले समस्त प्रकार के आपराधिक प्रकरण। पुलिस थाना खुनखुना के क्षेत्राधिकार में धारा 467, 468, 471, 477, 326, 409 एवं 394 भारतीय दण्ड संहिता/ धारा 338, 336(3), 340(2), 343, 118(2), 316(5) एवं 309(6) भारतीय न्याय संहिता के तहत दर्ज आपराधिक प्रकरण।
03	**न्यायिक मजिस्ट्रेट, डीडवाना**	पुलिस थाना खुनखुना व आबकारी थाना डीडवाना के क्षेत्राधिकार में उद्भूत होने वाले समस्त प्रकार के आपराधिक प्रकरण (न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, डीडवाना एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, डीडवाना के क्षेत्राधिकार से भिन्न प्रकरण)।
	लाडनूं मुख्यालय	
04	**अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, लाडनूं**	पुलिस थाना लाडनूं, पुलिस थाना जसवन्तगढ़, पुलिस थाना निम्बीजोधा व पुलिस थाना आबकारी लाडनूं के क्षेत्राधिकार में उद्भूत होने वाले समस्त प्रकार के आपराधिक प्रकरण।
	कुचामन मुख्यालय	
05	**अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कुचामन**	पुलिस थाना कुचामन व पुलिस थाना चितावा के क्षेत्राधिकार में उद्भूत होने वाले समस्त प्रकार के आपराधिक प्रकरण।
	मकराना मुख्यालय	
06	**अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मकराना**	पुलिस थाना मकराना के क्षेत्राधिकार में उद्भूत होने वाले समस्त प्रकार के आपराधिक प्रकरण, पुलिस थाना गच्छीपुरा के क्षेत्राधिकार में धारा 467, 468, 471, 477, 326, 409 एवं 394 भारतीय दण्ड संहिता/ धारा 338, 336(3), 340(2), 343, 118(2), 316(5) एवं 309(6) भारतीय न्याय संहिता के तहत दर्ज आपराधिक प्रकरण।
07	**न्यायिक मजिस्ट्रेट, मकराना**	पुलिस थाना गच्छीपुरा के क्षेत्राधिकार में उद्भूत होने वाले समस्त प्रकार के आपराधिक प्रकरण।

नावां मुख्यालय		
08	**अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, नावां**	पुलिस थाना नावां एवं पुलिस थाना मारोठ के क्षेत्राधिकार में उद्भूत होने वाले समस्त प्रकार के आपराधिक प्रकरण।
परबतसर मुख्यालय		
09	**अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, परबतसर**	पुलिस थाना, परबतसर, पुलिस थाना, पीलवा एवं पुलिस थाना, बडू के क्षेत्राधिकार में उद्भूत होने वाले समस्त प्रकार के आपराधिक प्रकरण।

नोटः-

01. डीडवाना न्यायक्षेत्र में आबकारी वृत डीडवाना/नावां/परबतसर, आबकारी थाना नावां व परबतसर, वन विभाग एवं जिला परिवहन अधिकारी, डीडवाना द्वारा दर्ज प्रकरणों के संबंध में डीडवाना न्यायक्षेत्र में आने वाले पुलिस थानों के क्षेत्राधिकार में अपराध घटित होना पाया जाता है तो उसी पुलिस थाने से संबंधित क्षेत्राधिकारिता वाले न्यायालय को सुनवाई की क्षेत्राधिकारिता प्रदान की जाती है।

02. जहां क्षेत्राधिकार के संबंध में अतिलंघता की स्थिति है, वहां पर वरिष्ठतम श्रेणी के न्यायालय को सुनवाई का क्षेत्राधिकार होगा और जहां दो न्यायालयों के बीच क्षेत्राधिकार के बाबत संदिग्धता है, वहां भी सुनवाई का क्षेत्राधिकार वरिष्ठतम न्यायालय को होगा। उसके उपरांत भी क्षेत्राधिकार के संबंध में स्थिति स्पष्ट नहीं होने पर प्रकरणों की सुनवाई का क्षेत्राधिकार मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, डीडवाना को होगा।